संख्या पी 100 /14-2-2017-800(99)/2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0 प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 24 अक्टूबर 2017

विषय- जनपद लखननऊ में रिलायंस जियो इंफोकाम लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (दिल्ली लखनऊ मार्ग) के किमी0 464.700 से किमी0 489.00 राष्ट्रीय राजमार्गसंख्या-25 (लखनऊ हरदोई रोड) किमी0 224.00 किमी 262.50 किमी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-56 (लखनऊ सुल्तानपुर रोड) (सोमनाथ द्वार-शहीदपथ बांया अर्जुनगंज) के किमी0 3.35 से किमी0 10.00 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-(लखनऊ सुल्तानपुर रोड) हजरतगंज चौराहे से मायावती आवास के किमी0 0.00 02.00 किमी (लखनऊ सुल्तानपुर रोड) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-56 (लखनऊ सुल्तानपुर रोड) (अर्जुनगंज-लिंक शहीदपथ) के किमी0 10.00 से किमी0 11.50 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 बी (लखनऊ रायबरेली रोड) के किमी0 5.50 से किमी0 23.00 तक कुल किमी0 90.45 हे0 संरक्षितवनभूमिके बिना वृक्ष पातन के आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-382/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/23194/2016, दिनांक 10-8-2017, एवं शासनादेश् सं0 2367(1)/14-2-2016,दिनांक 18-10-2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जनपद लखननऊ में रिलायंस जियो इंफोकाम लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (दिल्ली लखनऊ मार्ग) के किमी0 464.700 से किमी0 489.00 राष्ट्रीय राजमार्गसंख्या-25 (लखनऊ हरदोई रोड) किमी0 224.00 किमी 262.50 किमी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-56 (लखनऊ सुल्तानपुर रोड) (सोमनाथ द्वार-शहीदपथ बांया अर्जुनगंज) के किमी0 3.35 से किमी0 10.00 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-(लखनऊ सुल्तानपुर रोड) हजरतगंज चौराहे से मायावती आवास के किमी0 0.00 02.00 किमी (लखनऊ सुल्तानपुर रोड) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-56 (लखनऊ सुल्तानपुर रोड) (अर्जुनगंज-लिंक शहीदपथ) के किमी0 10.00 से किमी0 11.50 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 बी (लखनऊ रायबरेली रोड) के किमी0 5.50 से किमी0 23.00 तक कुल किमी0 90.45 हे0 संरक्षितवनभूमिके बिना वृक्ष पातन के आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने की अनुमति विषयक प्रकरण की सामान्य स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते है-

(1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष् का पातन नहीं किया जायेगा।

(2) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड्कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।

(3) उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच. एच0डी0डी0 तकनीकी द्वारा किया जायेगा।

(4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

(5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/GO/intra

(10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

(14) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।

(15) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(16) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(17) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो!

भवदीय

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- पी 100 /14-2-2017-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।

(2)- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।

(3)- जिलाधिकारी, लखनऊ ।

(4)- प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग लख्नऊ

(5)- प्रबंधक, रिलायंस जियो इन्फोकाम लि0 10 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

(6)-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव प्रभाग,उ0प्र0शासन।

(7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव

shasanadesh.up.nic.in/go/intra